160

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

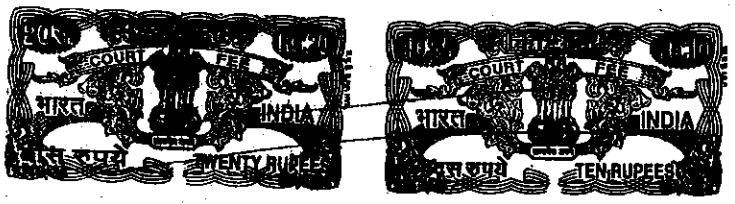

RS 301/-

गणेश सिंह राजपूत तनय कामता सिंह उम्र 73 वर्ष निवासी उपरहटी रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 -------आवेदक/निगरानीकर्ता

R 5359-II/16

बनाम

1. प्रभाकर शुक्ला तनय श्री विष्णु कुमार शुक्ला
2. दिवाकर शुक्ला तनय श्री विष्णु कुमार शुक्ला

दोंनों निवासी बाजपेयी टोला थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा म0प्र0

3. म0प्र0 शासन -------अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा द्वारा पेश। 05-8-16

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार साहब तहसील नपूल [redacted] रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण कमांक 24/बी-121/2015-16 मे जारी आदेश दिनांक 27.07.16 एवं उक्त प्रकरण मे दिनांक 15.07.16 के बाद की गई समस्त कार्यवाही बावत।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0

मान्यवर,

<u>निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्न है:-</u>

अ. यह कि रीवा शहर स्थित उपरहटी की भूमि नं-4441/1 रकवा 0.11¾ एकड़ एवं 4442 रकवा 0.01 एकड़ आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की पुस्तैनी भूमियां है जिन पर म0प्र0 शासन एवं आवेदक के मध्य चले प्रकरण

मामला क्र. आर.5359–दो/16, रीवा

160

राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र
गणेश सिंह राजपूत/प्रभाकर शुक्ला व अन्य
मामला क्र. आर.5359–दो/16, रीवा

(1)	(2)	(3)
17-11-16	1. आवेदक श्री गणेश सिंह तनय कामता सिंह, निवासी–उपरहटी रीवा के आवेदन पर प्रकरण सर्किट कोर्ट रीवा से मंगाया गया। आवेदक अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को समक्ष में सुना गया तथा प्रकरण व प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का आवलोकन किया। 2. आवेदक द्वारा यह निगरानी संहिता की धारा 50 के तहत तहसीलदार, नजूल रीवा के प्रकरण क्र.24/बी–121/15.16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.07.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रकरण का मुख्य आधार यह बताया गया है, कि रीवा शहर स्थित उपरहटी रीवा की भूमि क्रमांक 4441/1 रकवा 0.11,3/4डिस. एव 4442 रकवा 0.01डिस. एकड़ आवेदक के स्वत्व व अधिपत्य की पुस्तैनी भूमिया है। इन भूमियों पर शासन(म.प्र.) एवं आवेदक के मध्य चल रहे प्रकरण में मान्नीय अपर जिला–न्यायाधीश रीवा के प्रकरण क्र. 02ए./1970 मे पारित आदेश दिनांक 21.02.72 को शासन तथा आवेदक के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिग्री पारित करके उक्त भूमियों सहित अन्य कई भूमियों व भवन का भूमि स्वामी आवेदक के पक्ष में घोषित की गयी थी, जिसके आधार पर कलेक्टर रीवा ने पत्र क्र. 78/धमार्थ/72 रीवा, दिनांक 01.09.72 को उक्त भूमियां व भवन का कब्जा भी आवेदक के पिता को विधिवत म.प्र. शासन से वापस प्राप्त कर सौपा गया था। 3. मान्नीय व्यवहार न्यायालय के पारित आदेश एवं डिग्री के आधार पर तहसीलदार, नजूल रीवा ने प्रकरण क्र. 138/ए. 6/1987–88, आदेश दिनांक 10.08.1988 द्वारा विवादित भमियों सहित अन्य भूमि व भवन का नामांतरण भी आवदेक के पक्ष में पारित हुआ तथा इसी आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखो में आवेदक का नाम निरंतर चला आ रहा है। साथ ही साथ भूमियों एवं भवन का आवेदक तहसीलदार, नजूल रीवा के प्रकरण क्र.3/ए.12/89.90, आदेश दिनांक 03.02.90 का सीमांकन तथा प्रकरण कमांक 14/अ12/90.91 में स्थल का नजरी नक्शा के अनुसार काविज दाखिल चला आ रहा है। 4. अनावेदक के पिता द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के समक्ष तहसीलदार, नजूल रीवा के उक्त नामांतरण, आदेश दिनांक	

10.08.88 को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु एक आवेदन दिया, जिसपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा स्वमेव निगरानी में प्रकरण क्र.116/स्व.निग./2006.07 लेकर आदेश दिनांक 15.12.08 को आंशिक स्वमेव निगरानी स्वीकार करते हुये 0.2 किता विवादित भूमियों का नामांतरण आदेश निरस्त करते हुये राजीनामा दिनांक 21.02.72 की सत्यता एवं अनावेदक (इस प्रकरण मे आवेदक) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नामांतरण एवं कब्जा प्रविष्टी की जांच कर यथोचित आदेश पारित करने हेतु कलेक्टर रीवा को निर्देशित किया। उक्त आदेश की निगरानी आवेदक द्वारा मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रकरण क्र..आर.36/IV/09, पारित आदेश दिनांक 06.01.13 द्वारा कमिश्नर रीवा के आदेश दिनांक 15.12.08 यथावत रखा गया। इस आदेश को पुर्नाविलोकन में लिये जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है।

5. आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में वही तथ्य बताये गये हैं, जो निगरानी मेमो में उल्लेखित है। निगरानी का मुख्य आधार यह बताया गया है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि उपरहटी रीवा स्थित प्लाट क्रमांक 4441/1 एवं 4442 पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर आवेदक तहसीलदार, नजूल के समक्ष निर्माण कार्य रोके जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार, नजूल रीवा ने राजस्व निरीक्षक नजूल रीवा से जांच व स्थल पंचनामा मंगाकर किये जा रहे निमार्ण को उभय पक्ष की सुनवाई के उपरान्त प्रकरण के निराकरण तर्क निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने का स्थगन आदेश दिनांक 04.07.16 जारी किया तथा प्रकरण मे पेशी दिनांक 30.07.16 नियत की गयी किन्तु 30.07.16 के पूर्व ही प्रकरण मे बिना आवेदक को सूचना दिये वगैर पेशी कम करके दिनांक 11.07.16 नियत की जाकर अगली पेशी दिनांक 13.07.16 नियत की तथा दिनांक 13.07.16 को अगली पेशी दिनांक 15.07.16 नियत की उसके बाद अगली पेशी दिनांक 20.07.16 नियत की किन्तु दिनांक 20.07.16 को कोर्ट कार्यवाही न करके प्रकरण मे वगैर पेशी के ही दिनांक 27.07.16 को पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 04.07.16 को निरस्त कर दिया।

6. इस प्रकार तहसीलदार, नजूल की कार्यवाही आदेश दिनांक 27.07.16 अवैधानिक व नियम विरूद्ध है। अतः तहसीलदार, नजूल द्वारा दिनांक 15.07.16 के बाद की गयी समस्त कार्यवाही समाप्त किया जाकर नजूल तहसीलदार के प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 04.07.16 यथावत रखा जावे।

7. मैने आवेदक अभिभाषक के तर्क पर विचार, निगरानी मेमो में उल्लेखित तथ्यों एवं संलग्न अभिलेखो का अवलोकन किया। आवेदक

द्वारा नजूल तहसीलदार रीवा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि उपरहटी रीवा स्थित प्लाट नं. 4441/1 रकवा 0.11, 3/4डिस. एवं 4442 रकवा 0.01डिस. एकड़ जो आवेदक के स्वत्य व अधिपत्य है, की है पर अनावेदकगण द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उस कराये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगायी जावे। तहसीलदार, नजूल रीवा ने राजस्व निरीक्षक नजूल से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मय पचनांमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर ही राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 20.06.16 मय पंचनामा के प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर ही तहसीलदार, नजूल द्वारा दिनांक 04.07.16 को निर्माण कार्य बन्द करने का आदेश जारी किया। प्रकरण में संलग्न नजूल तहसीलदार, रीवा के आदेश की सत्यापित प्रति से प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि उनके द्वारा दिनांक 04.07.16 के बाद की गयी समस्त कार्यवाही अवैधानिक व नियम विरूद्व है। आवेदक को बिना सुने तथा बिना दुवारा जांच कराये विवादित आदेश दिनांक 27.07.16 पारित किया है, जिसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। साथ ही साथ विवादित आदेश दिनांक 27.07.16 में आदेशित है, कि नया निर्माण न करें, पूर्व निर्मित मकान की दीवार पर ही निर्माण करें? जबकि राजस्व निरीक्षक नजूल के प्रतिवेदन दिनांक 20.06.16 में यह प्रतिवेदित है, कि स्थल पर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण मकान बना हुआ है, जो कई वर्षो से रिक्त है। पश्चिमी दीवार के बाहर पश्चिम दिशा में आवेदक का रहायशी मकान एवं मंदिर बना है, जो आवेदक के कब्जे दखल में है। अनावेदकगण द्वारा स्थल जांच तथा नजूल तहसीलदार रीवा के समक्ष अपने स्वत्व व अधिपत्य के सम्बन्ध में कोई अभिलेख व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक तथा शासन मध्यप्रदेश के बीच स्वत्व व अधिपत्य का निराकृण किये जाने के सम्बन्ध मे कमिश्नर रीवा संभाग रीवा व राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा आदेशित है। अतः तहसीलदार, नजूल रीवा का आदेश दिनांक 27.07.16 जिसमें दीवार पर निर्माण करने अनुमती दी गयी है, वह अनुमति औचित्यहीन होने से निरस्त किया जाता है। कलेक्टर रीवा एवं तहसीलदार, नजूल रीवा को आदेशित किया जाता है, कि विवादित मकान में किया जा रहा निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोके तथा अनाधिकृत किये गये कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही करें। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

8. आदेश की प्रति पालनार्थ कलेक्टर रीवा तथा तहसीलदार, नजूल रीवा को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा. द. हो।

सदस्य